NIE.

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

23-01-2014

मो0 मेराज़ फैज़ी, पिता–मो अब्दुल मेन्नान, सा0–क्युम कॉलोनी, दरगाह रोड, पो0–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना द्वारा एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2013 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–534/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–23.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसायी हैं एवं उनका शाहगंज में पाकिजा नामक एक प्रेस है, उक्त प्रेस में बिहार सरकार का भी कार्य होता है। जिस कारण आवेदक को अक्सर इधर– उधर कारोबार के संबंध में जाना पड़ता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1763/गो0, दिनांक–10.12.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, सुलतानगंज के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, सुलतानगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसायी हैं। उनका शाहगंज में प्रिटिंग प्रेस है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के विहित प्रपत्र की कंडिका–15 पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है, लेकिन क्र0–30/प0 पर धारित पु0अ0नि0, सुलतानगंज थाना, पटना द्वारा कंडिका–04 पर प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिजनेसमैन हैं एवं पाकिजा प्रेस शाहगंज में है, उक्त प्रेस में बिहार सरकार का कार्य होता है। जिस कारण आवेदक को अक्सर इधर–उधर कारोबार के संबंध में जाना पड़ता है इसलिए आवेदक को अपने शरीर की सुरक्षा हेतु इन्हें शस्त्र रिवाल्वर/पिस्टल की आवश्यकता महसुस होती है। अतः आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति भी निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो0 मेराज़ फैज़ी, पिता–मो अब्दुल मेन्नान, सा0–क्युम कॉलोनी, दरगाह रोड, पो0–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।